

## लद्दाख द्वारा पूरण राज्य की मांग

### प्रलिस के लयल:

केंद्रशासतल प्रदेश लद्दाख, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के तहत शरतें, अनुच्छेद 244(2), स्वायत्त ज़लल

### मेन्स के लयल:

लद्दाख से संबंघतल प्रलथमकल मांगें, लद्दाख की वर्तमान केंद्रशासतल प्रदेश के दरजे के कारण, छठी अनुसूची के उद्देश्य

[सुरत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रशासतल प्रदेश लद्दाख में छठी अनुसूची के तहत राज्य का दरजा और संवैधानकल संरक्षण की मांगों को लेकर कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा ।

## लद्दाख की प्रलथमकल मांगें क्या हैं?

- **पृष्ठभूमल:** अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के नरलसत कयल जाने और राज्य को दो अलग-अलग केंद्रशासतल प्रदेशों में वभलजतल करने के बादजम्मू तथा कश्मीर का पूर्ववर्ती हसलसा लद्दाख एक केंद्रशासतल प्रदेश बन गया ।
  - ऐसे में इस क्षेत्र में नई प्रशासनकल दरजे को लेकर काफी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, तब से लद्दाख अपनी सांस्कृतकल एवं जनसांख्यकल पहचान की अधकल स्वायत्तता और सुरक्षा की मांग कर रहा है ।
- **प्रलथमकल मांगें:** आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दो सामाजकल-राजनीतकल संगठनों की मांग है कल अनुच्छेद 370 और 35A के तहत केंद्रशासतल प्रदेश के लयल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए । उनकी प्रलथमकल मांगों में नमलनलखतल शामिल हैं:
  - **लद्दाख को पूरण राज्य का दरजा:** अधकल राजनीतकल स्वायत्तता और नरलणय लेने की शक्तलथल के संदर्भ में लद्दाख को उसके वर्तमान केंद्रशासतल प्रदेश के दरजे के स्थान पर एक पूरण राज्य का दरजा प्रदान करने की मांग ।
  - **6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय:** स्वदेशी आबादी के सांस्कृतकल, भाषाई और भूमलसंबंधी अधकलारों की रक्षा के लयल 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानकल प्रावधानों के क्रयलान्वयन की मांग ।
  - **नौकरथल में आरक्षण:** लद्दाख के युवाओं के लयल रोज़गार के अवसरों में आरक्षण का समावेश, आर्थकल संसाधनों एवं अवसरों तक समान पहुँच सुनश्लतल कयल जाना ।
  - **पृथक संसदीय नरलवाचन क्षेत्रों का नरलमाण:** प्रत्येक क्षेत्र की वशलषलट जनसांख्यकलयकलय और भौगोलकल वशलषलताओं को दर्शाने वाले लेह व कारगल के लयल अलग संसदीय नरलवाचन क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव ।
- गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रतनलधलथल के साथ संवाद करने के लयल एक उच्चलधकलार समतलका गठन कयल है ।

## नोट:

- अनुच्छेद 35A (वर्तमान में अप्रभावी) जम्मू और कश्मीर राज्य की वधलयकल को राज्य के "स्थायी नवलसथल" को परभलषतल करने तथा उन्हें वशलषलधकलार प्रदान करने का अधकलार देता है जो सामान्य तौर पर भारतीय नागरकलों के लयल उपलब्ध नहीं थे ।

## वर्तमान में लद्दाख केंद्रशासतल प्रदेश का दरजा प्रदान कयल जाने के क्या कारण हैं?

- **सांस्कृतकल और जनसांख्यकलयकलय भनलनताएँ:** केंद्रशासतल प्रदेश के रूप में नामतल होने से पूर्व लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का हसलसा था ।
  - लद्दाख में बौद्ध धरम की बहुलता पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की मुसलमल-बहुल आबादी से काफी भनलन है ।

- यह अंतर अक्सर संसाधन आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर चर्चाएँ उत्पन्न करता है।
- **सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण:** लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से लगती है, ऐसे में रणनीतिक महत्त्व इस क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
  - केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किये जाने से इसे सुरक्षा मामलों में **केंद्र सरकार से अधिक प्रत्यक्ष और सुव्यवस्थित प्रशासन व मदद मिली**।
- **विकासोत्तम परंपरेकष्य:** भारत सरकार ने संभवतः लंबे समय से चली आ रही **शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने** और इस क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण सर्वोचित तरीका माना।

## भारत में राज्यों के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद** को राज्यों के गठन, परिवर्तन अथवा वधितन के संबंध में विभिन्न कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इन कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **नए राज्यों का गठन:** संसद मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करके, दो अथवा दो से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी क्षेत्र को मौजूदा राज्य के एक हिस्से के साथ जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
  - **राज्य क्षेत्र का विस्तार अथवा संकुचन:** संसद के पास किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने अथवा उसे कम करने की शक्ति है।
  - **राज्य की सीमाओं में परिवर्तन:** संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
  - **राज्य का नाम परिवर्तन:** संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन सकती है।
- **अनुच्छेद 3 के तहत शर्तें:**
  - इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रस्ताव के साथ एक **वधियक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाना आवश्यक है**।
  - वधियक की सफाई करने से पूर्व, राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिये इसे संबद्ध राज्य विधानमंडल के पास प्रेषित करें।
- **अतिरिक्त विमर्श:**
  - नए राज्य के निर्माण के संसद की शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के एक हिस्से को दूसरे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक **नए राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण करने** की शक्ति भी शामिल है।
  - **संसद राज्य विधायिका के विचारों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है** और समयबद्ध तरीके से प्राप्त होने पर भी उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।
  - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में, संबंधित विधायिका के समक्ष किसी भी प्रकार का **कारण अथवा संदर्भ** प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, संसद कोई भी उचित कार्रवाई कर सकती है।
  - अतएव **भारत राज्यों का एक संघ है जसि वधितति एवं पुनर्गठित किया जा सकता है**।

## छठी अनुसूची क्या है?

- **परिचय:** छठी अनुसूची में **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2)** के तहत **चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान शामिल हैं**।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य जनजातीय भूमि और संसाधनों की सुरक्षा करना तथा इनका **गैर-जनजातीय संस्थाओं को हस्तांतरण को रोकना** है। यह जनजातीय समुदायों को शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है, यह उनकी सांस्कृतिक व सामाजिक अस्मिता को बरकरार रखने में तथा उनका प्रोत्साहन सुनिश्चित करता है।
- **स्वायत्त ज़िले और क्षेत्र:** इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन स्वायत्त ज़िलों के रूप में किया जाता है।
  - ऐसे मामलों में जहाँ एक स्वायत्त ज़िले में विभिन्न अनुसूचित जनजातियों निवास करती हैं, राज्यपाल इन ज़िलों को **स्वायत्त क्षेत्रों** में विभाजित कर सकता है।
  - राज्यपाल के पास स्वायत्त ज़िलों को व्यवस्थित करने, पुनर्गठित करने और सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है।
- **ज़िला और क्षेत्रीय परिषद:** इसके तहत प्रत्येक स्वायत्त ज़िले के लिये अधिकतम 30 सदस्यों वाले एक ज़िला परिषद का गठन किया जाना आवश्यक है।
  - **इनमें से राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 है**, जबकि शेष का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
  - इसी प्रकार, स्वायत्त क्षेत्र के रूप में नामित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. भारत के संविधान की कसि अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमिका, खनन के लिये नजि पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषति कयिा जा सकता है? (2019)

- (a) तीसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) नौवी अनुसूची
- (d) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (b)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ladakh-s-statehood-demand>

